IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ
website : http://www.upavp.com,
E-mail : upavp@sancharnet.in

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700
SQMS

विशिष्ट श्रेणी के दुर्बल आय वर्ग भवन (30/40 प्रकार) तथा छोटे भूखण्ड (25.11 वर्गमीटर से 80.00 वर्गमीटर तक) के लिए आवश्यक सूचना

परिषद की वृन्दावन योजना लखनऊ में दिनांक 15.08.2013 से दिनांक 05.09.2013 तक विशिष्ट श्रेणी के दुर्बल आय वर्ग भवन (30/40 प्रकार) तथा छोटे भूखण्ड (25.11 वर्गमीटर से 80.00 वर्गमीटर) तक के लिए पंजीकरण आवेदन फार्म सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद आफिस काम्पलेक्स सेक्टर–9 वृन्दावन योजना लखनऊ में जमा कराये गये थे जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग के लिए पंजीकरण की धनराशि निम्नानुसार मांगी गयी थीः–

योजना संख्या	सम्पत्ति का प्रकार	पंजीकरण धनराशि (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग) हेतु	सामान्य वर्ग हेतु निधारित पंजीकरण धनराशि
1	2	3	4
यो0 सं0 3 व 4	विशिष्ट श्रेणी (30/40 प्रकार) भवन	रू0 23,000.00	रू0 46,000.00
यो0 सं0–1	25.11 वर्गमीटर के भूखण्ड	रू0 10,500.00	रू0 21,000.00
योग सं0 3 व 4	40.74 वर्गमीटर से 80.00 वर्ग मीटर के भूखण्ड	रू0 15,000.00	रू0 30,000.00

उत्तर प्रदेश से बाहर के अन्य राज्यों के मूल निवासी जिन्होंने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग में आवेदन देकर उक्त धनराशि जमा की है, उन्हें शासन के आदेशों के तहत आरक्षण का लाभ देय नहीं है। ऐसी स्थिति में जो आवेदक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, जिन्होंने अन्य प्रदेश के प्रमाण पत्र लगाकर उपरोक्त धनराशि के बैंक ड्राफ्ट के साथ आवेदन पत्र जमा किया है उन्हें सामान्य वर्ग का आवेदक माना जायेगा।

उक्त तालिका के कालम संख्या–4 के अनुसार ऐसे आवेदक दिनांक 16 नवम्बर, 2013 तक अवशेष पंजीकरण की धनराशि को पुनः बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से कार्यालय में प्राप्त करा दें, ताकि उन्हें सामान्य वर्ग का आवेदक मानते हुए लाट्री में सम्मिलित किया जा सके, अन्यथा उनके आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे तथा लाट्री के लिए वह पात्र नहीं माने जायेंगे। समस्त आवेदकों के नाम परिषद की वेबसाइट **www.upavp.com** पर प्रदर्शित कर दिये गये हैं। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी सूचना एवं प्रदर्शित सूची में यदि कोई भिन्नता पाई जाये तो उसके निवारण हेतु आवेदक दिनांक 16 नवम्बर, 2013 तक उक्त कार्यालय में साक्ष्य सहित प्रार्थना पत्र प्राप्त करा दें। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा। उक्त वेबसाइट पर संशोधनोपरान्त अन्तिम सूची दिनांक 23.11.2013 तक प्रदर्शित कर दी जायेगी, तद्नुसार ही सूची के आवेदकों को आबंटन में सम्मिलित किये जाने हेतु पात्र माना जायेगा।

आवास आयुक्त

परिषद में ग्राहकों की शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के लिए
जन–सुविधा केन्द्र की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं।
डायल करें 0522-2236803, (टोल फ्री-1800-180-5333)
यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक उपलब्ध है।